

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-1501/8-3-17-65 विविध/16 टी.सी. I
लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2018

अधिसूचना

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 16 सन् 2016) की धारा-43 के प्रथम परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल "उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपील अधिकरण" स्थापित होने तक "उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपील अधिकरण" को उक्त अधिनियम के अधीन अपीलों की सुनवाई करने के लिए अभिहित करते हैं।

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1501(1)/8-3-17-65 विविध/2016 टी.सी. I-तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक ~~24-01-2019~~ के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 300 मुद्रित प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-1501(2)/8-3-17-65 विविध/16 टी.सी. I-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (3) अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, 1, कैसरबाग एवेन्यू, लखनऊ।
- (4) सचिव, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
- (5) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
- (6) अध्यक्ष समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
- (7) समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र उ0प्र0।
- (8) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
- (9) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा।
- (10) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से तामील कराने का कष्ट करें।
- (11) न्याय अनुभाग-6
- (12) समस्त अनुभाग आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव